संख्या-98/2018/445/35-3-2018-1(39) /2017

प्रेषक,

राम नरायन सिंह यादव,
विशेष सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेंवा में

जिलाधिकारी,
खीरी ।

नियोजन अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक 31 मार्च, 2018**

विषय: वित्तीय वर्ष 2017-18 में बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के अन्तर्गत सी.सी.रोड्र /के.सी.ड्रेन निर्माण कार्यो हेतु द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद-**खीरी** में शासनादेशसं.**7/2018/35/35-3-2018-1(39)/2017**दिनांक **19**जनवरी, **2018**द्वारा**सी.सी.रोड्र/के.सी.ड्रेन निर्माण कार्यो** हेतु रू.**244.50 लाख(रू**.दो करोड़ चौवालीस लाख पच्चास हजार)मात्र धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुये उनके लिये केन्द्रांश के सापेक्ष, प्रथम किश्त के रूप में रू0**146.70**लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। एतददवारा निम्नलिखित कार्यो की अनुमोदित लागत के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि को समायोजित करते हुये उनके लिये अवशेष देय,**राज्यांश के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में रू. 97.80लाख** (रू. सत्तानवे लाख अस्सी हजार) **मात्र की धनराशि** निम्न शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर व्यय हेतु रखे जाने की,श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

(धनराशि लाख रू.मे)

विकासखंड का नाम	क्रम सं०	परियोजना का नाम	**प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन**	**केन्द्रांश के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि**	**राज्यांश के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त की जा रही धनराशि**
		कार्यदायी संस्था-ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग			
पलिया	1	**ग्राम भूदान में सी.सी.रोड एवं नाली निर्माण ल.450 मी.**	27.11	16.27	10.84
पलिया	2	**कमलापुर गांव सेखजुरियाबार्डर तक सी.सी.रोड का निर्माण कार्य ल.633 मी0**	37.85	22.71	15.14
पलिया	3	**ग्राम बसही में सुमेर के घर से नरेन्द्र अवस्थी के घर तक सी0सी0रोड का निर्माण कार्य ल.250 मी.**	14.97	8.98	5.99
पलिया	4	**ग्राम बसही में सुमेर केघरसे लालवचन के घर तक सी0सी0रोड का निर्माण कार्य ल0 150 मी0**	9.02	5.41	3.61
निघासन	5	**ग्राम बनवीरपुर में सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माणकार्य ल0 457 मी0**	38.64	23.18	15.46
निघासन	6	**सांसद आदर्श ग्राम रायपुर में सी.सी. रोड एवं नाली**	38.64	23.18	15.46

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

		निर्माण कार्य ल.455मी.			
रमियाबेहड	7	**खैरिटया ग्राम सभा के मजरा दलराजपुर में सी0सी0रोड एवं नाली निर्माण कार्य ल0 618मी0**	38.55	23.13	15.42
रमियाबेहड	8	**खैरिटया में सी.सी.रोड एवं नाली निर्माण कार्यल.697मी.**	39.72	23.83	15.89
		कुल योग	**244.50**	**146.70**	**97.80**

1- संदर्भित शासनादेश दिनांक 19 जनवरी, 2018 की शर्ते यथावत लागू रहेगी ।

2- जिलाधिकारी द्वारा दिवतीय किश्त कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के पूर्व अपने स्तर से जिले के सक्षम अधिकारी से सीसी..रोड्रके/.सी.ड्रेन निर्माणकार्यो हेतु प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की ग्रयी धनराशि के सापेक्ष कराये गये कार्यो की प्रगति एवं उनकी गुणवत्ता का भौतिक सत्यापन अवश्य कराया जायेगा।

3- अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को यथाशीध्र उपलब्ध करवाया जायेगा ।

4- कार्य का निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुये समयबद्व ढंग से स्वीकृत लागत में ही पूरा किया जायेगा और लागत वृदिध अनुमन्य नहीं होगी।

5. प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व वित्तीय नियम सग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना की विस्तृत डिजाइन/डराइग एवं तकनीकी स्वीकृति समक्ष स्तर से प्राप्त हेाने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

6. कोषागार से धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुये कार्यदरायी संस्थाओं को उपलब्ध कराया जायेगा।

7. प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रो को आवश्यकतानुसानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकारण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीक़त कराया जायेगा।

उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40 में लेखाशीर्षक-4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय-06-बार्डर एरिया डेवलपमेन्ट कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-09-सी.सी.रोड एवं के.सी.ड्रेन निर्माण हेतु एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा ।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या- ई- 5-510(1)/दस-2018 दिनांक 29 मार्च, 2018 में प्राप्त उनकी सहमतिि से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय,

(राम नरायन सिंह यादव)
विशेष सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-98/2018/445(1)/ 35-3-2018-1(39)/2017 तद दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग,उ0प्र0 शासन ।
2- अपर मुख्य सचिव,ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 शासन ।
3- मण्डलायुक्त, लखनऊ मण्डल।
4- महालेखाकार, प्रथम(लेखा एवं हकदारी) इलाहाबाद, उ0प्र0 महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय) इलाहाबाद ।
5- निदेशक, सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन , लखनऊ ।
7- अपर निदेशक, भूमि उपयोग परिषद को इस आशय से कि शासनादेश को विभागीय बेव साइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
8- कोषाधिकारी, खीरी ।
9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5/ ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग-1 ।
10- उप निदेशक, (अर्थ एवं संख्या) लखनऊ मण्डल।
11- अर्थ एवं संख्याधिकारी, खीरी ।
12- राज्य योजना आयोग-।
13- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(राम नरायन सिंह यादव)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।